अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/606

सत्यनारायण पुत्र माधोलाल जाति तेली निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा।
—अपीलार्थी

बनाम

1. माधोलाल पुत्र भोपा ।
2. बाबूलाल पुत्र माधोलाल जाति तेली निवासीगण भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. रामभरोसी बाई पुत्री माधोलाल पत्नी ओमप्रकाश जाति तेली निवासी 6–जी–4 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा ।
4. चन्द्रकला पुत्री माधोलाल पत्नी जोधराज जाति तेली निवासी कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.10.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा।

वाद संख्याः 157/दावा/2015

सत्यनारायण पुत्र माधोलाल जाति तेली निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा।
——वादी

बनाम

1. माधोलाल पुत्र भोपा ।

2. बाबूलाल पुत्र माधोलाल जाति तेली निवासीगण भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा
3. रामभरोसी बाई पुत्री माधोलाल पत्नी ओमप्रकाश जाति तेली निवासी 6–जी–4 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा ।
4. चन्द्रकला पुत्री माधोलाल पत्नी जोधराज जाति तेली निवासी कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.10.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 18.12.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश नन्दवाना के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.10.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 18.12.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

18.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/606

सत्यनारायण पुत्र माधोलाल जाति तेली निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा।
———अपीलान्ट

बनाम

1. माधोलाल पुत्र भोपा ।
2. बाबूलाल पुत्र माधोलाल जाति तेली निवासीगण भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. रामभरोसी बाई पुत्री माधोलाल पत्नी ओमप्रकाश जाति तेली निवासी 6–जी–4 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा ।
4. चन्द्रकला पुत्री माधोलाल पत्नी जोधराज जाति तेली निवासी कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 18.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.10.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा की खाता संख्या 244 में खसरा नम्बर 437 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 467 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 475 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 1077 रकबा 1.43 हैक्टर कुल 04 किता रकबा 1.92 हैक्टर भूमि एवं ग्राम सुहाना तहसील दीगोद की खाता संख्या 157 में खसरा नम्बर 637 रकबा 3.26 हैक्टर जो कि प्रतिवादी कम 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम बृजपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में कुल 03 किता की रकबा 3.21 हैक्टर भूमि जो कि प्रतिवादी कम 1 के नाम

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । उक्त भूमि में वादी ने अपना 1/2 हिस्सा बताते हुए वादग्रस्त आराजी का विभाजन किये जाने का निवेदन किया ।

3. प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वादी ने वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी मानते हुए पेश किया है जिसमें वादपत्र के पेरा नम्बर 1, 2 व 3 में ग्राम भाण्डाहेडा, सुहाना व बृजपुरा की आराजी पुश्तैनी मानते हुए सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी क्रम 1 माधो जी की खातेदारी में दर्ज होना मानते हुए पिता की मौजूदगी में वादी सत्यनारायण का अधिकार मानते हुए घोषणा व बंटवारे 1/2 हिस्से की डिक्री हेतु वाद पेश किया है । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी नहीं है वादी ने वादपत्र के साथ विवादित भूमि पुश्तैनी होने का कोई दस्तावेज पेश भी नहीं किया है तथा भूमि का प्रतिवादी क्रम 1 खातेदार कृषक है भूमि प्रतिवादी की व्यक्तिगत सम्पत्ति है जिससे वादी को वाद का वाकारण ही उत्पन्न नहीं हुआ है । अतः बिना बाद कारण के वाद चलने योग्य नहीं होने से वादी का वाद खारिज फरमाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.10.2017 के द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार करते हुए वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.10.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध वाद पेश किया था जिसका साक्ष्य के उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.10.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा अपीलान्ट के द्वारा हक, घोषणा का पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना साक्ष्य लिये ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आधार पर खारिज किया है जो विधि – विरूद्ध है । पारिवारिक विभाजन के अनुसार अपीलान्ट अपने हिस्से पर काबिज है । आराजी पैतृक है । आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के तहत केवल वादपत्र को देखा जाना होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.10.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि पिता के जीवनकाल में पुत्र को हक, घोषणा का वाद लेने का कोई अधिकार नहीं है । आराजी पुश्तैनी होने का कोई प्रमाण भी पेश नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.10.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरबीजे (4) 1997 पेज 623, आरआरटी 2016 (1) पेज 364 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के तहत दावा पेश किया है । प्रतिवादी क्रम 1 वादी के पिता हैं और वादपत्र की मद संख्या 01 के अनुसार वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज है । दावे की मद संख्या 4 के अनुसार वादी प्रतिवादी क्रम 1 का पुत्र, प्रतिवादी क्रम 2 से 4 उनके पुत्र एवं पुत्रियॉ हैं ।

10. पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी संलग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के तन्हा खाते में दर्ज है । पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 संलग्न है उसके अनुसार आराजी माधो पुत्र भोपा के खाते दर्ज है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं और वादी ने दावा प्रतिवादी क्रम 1 जो कि वादग्रस्त आराजी के तन्हा खातेदार हैं और उनके पिता हैं, जो जीवित हैं के खिलाफ पेश किया है। पिता के जीवनकाल में पुत्र को उनकी सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है । आरबीजे (4) 1997 पेज 623, आरआरटी 2016 (1) पेज 364 यहॉ चस्पा होती हैं ।

11. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.10.2017 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 18.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा